राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	अंतिम निर्णय दिनांक
74/17	24.04.2017	15.03.2018

अनुवान

1. होशियार पुत्र बलदेव जाति अहीर निवासी मोलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

वादी

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र जगमालसिंह
2. रीना पत्नी रमेशचन्द जाति अहीरान निवासीयान मोलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर
4. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर अलवर

प्रतिवादीगण

दावा–तकासमा मय हु0ई0दवामी

उपस्थितिः– 1. श्री संजय शर्मा वकील–वादी
2. श्री महेश यादव वकील – प्रतिवादीगण

–::अंतिम निर्णय::–

दिनांकः– 15.03.2018

आज यह पत्रावली वास्ते अंतिम निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। प्रकरण तकासमा आराजी का होकर पूर्व में कुर्रेजात प्रस्ताव तहसीलदार मुण्डावर के पत्र क्रमांक 5499 दिनांक 27.11.2017 द्वारा प्रस्तुत होकर शामिल पत्रावली है। मुताबिक उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट विवादित आराजी ख0न0 601/0.25 है0 से कायम किये ख0न0 601/2 रकबा 0.04 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख0न0 601/1 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम मोलावास तहसील मुण्डावर के प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट में अंकित

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

...खण्ड अधिकारी महोदय,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
राजस्व वाद संख्या :– 74/17
होशियार बनाम रमेशचन्द
अंतिम निर्णय दिनांक :– 15.03.2018

हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार हाल रिकार्ड में उभयपक्षकारान के पृथक–पृथक खातेजात कायम कर लगान राशि निर्धारित की जावे। कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श–अ, मय कुर्रेकायमी रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

15.03.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner